आवश्यक / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1
संख्या–1820/60–1–14–1/13(122)/14
लखनऊ : दिनांक : 03/~~अगस्त~~, 2014

जिलाधिकारी,
आगरा।

कृपया राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह(किशोर), आगरा का दिनांक 15 जुलाई, 2014 को किए गए निरीक्षण की संलग्न आख्या का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 आयोग ने स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष अधिक संवासियों के निरूद्ध रहने के कारण संस्था में व्याप्त अव्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की अनुपलब्धता पर ध्यानाकर्षित करते हुए अविलम्ब कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2– राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) आगरा के भवन परिवर्तन के लिए पूर्व में भी कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, परन्तु विज्ञापनों के उपरान्त भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सका है। इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही की आवश्यकता है। कृपया जनपद में यदि पर्याप्त स्थान की उपलब्धता वाले सरकारी भवन उपलब्ध हों, तो उसे चयनित कर अविलम्ब गृह को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही साथ राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) हेतु शहर अथवा शहर के समीप रिक्त सरकारी भूमि (कम से कम 15000 वर्गफुट) शीघ्र तलाश कर महिला कल्याण विभाग के नाम आवंटन की प्रकिया को पूर्ण करायें, जिससे नवीन भवन का निर्माण कराकर उक्त समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या– 2084/2008 में पारित आदेश दिनांक 30–04–2004 के अनुपालन में शिक्षा निदेशक, बेसिक द्वारा अपने पत्रांक संख्या– 4321–4413 दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 के द्वारा सभी सम्प्रेक्षण गृहों में दो–दो अध्यापक सम्बद्ध करने तथा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए गए थे, उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें। साथ ही साथ उच्च शिक्षा से सम्बन्धित संवासियों की शिक्षा–व्यवस्था सुदृढ़ करने के दृष्टिगत ट्यूशन की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायें, जिसका व्ययभार संस्था को अन्य व्यय में आवंटित धनराशि से किया जा सकता है।

4– अतः मा0 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ध्यानाकर्षित उपरोक्त बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब अवगत करायें।

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–1820 (1)/60–1–2014 दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मा0 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, पांचवा तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली– 110001
2– आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3– जिला प्रोबेशन।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।